(102)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1222-दो/2006 - विरूद्ध आदेश दिनांक 13-06-2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 31/2003-04 निगरानी

1- हीरालाल पुत्र स्व0शंकर प्रसाद बढ़ई, ग्राम
कुईया खुर्द हाल 3 एमपी बटालियन,NCC रीवा
टी.आर.एस.कॉलेज के वगल में जिला रीवा
2- रामगोविन्द पुत्र स्व0शंकर प्रसाद बढ़ई, ग्राम
कुईया खुर्द हाल शारदापुरम् समान पयासी
टोला तहसील हुजूर जिला रीवा मध्यप्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- गुरूशरण बढ़ई पुत्र मथुराप्रसाद
2- महिला मन्तोरिया पत्नि स्व.कालू बढई
3- महिला पूनम पत्नि स्व.मोतीलाल बढई
4- विहारीलाल 5- रामनारायण
6- भैयालाल 7- सुशील चारों पुत्रगण कालू बढई
ग्राम कुईयॉ खुर्द तहसील रायपुर कर्चुलियान
थाना मनगवॉ जिला रीवा मध्य प्रदेश --- अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 24 -7 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 31/03-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-6-2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्व0शंकर प्रसाद बढ़ई ने अपने जीवनकाल में तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान को म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178/110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम कुईया खुर्द की सामिलाती भूमि सर्वे कमांक 756 रकबा 1.246 हैक्टर, 757 रकबा 0.077 हैक्टर, 856 रकबा 0.073 हैक्टर, 860 रकबा 0.214 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.610 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) के बटवारा की मांग की। तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान ने प्रकरण कमांक 98 अ-27/1996-97 पॅजीबद्व किया तथा जॉच कार्यवाही उपरांत आदेश दिनांक 1-10-97 पारित किया एंव वादग्रस्त भूमि का बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के समक्ष दिनॉक 17-7-2002 को अपील प्रस्तुत की एंव विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलिया ने प्रकरण कमांक 13 अ-27/2001-01 अपील पंजीबद्व किया एंव अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर हितबद्व पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 17-12-2002 पारित किया तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अपर कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 97/अ-27/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 27-1-2004 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 31/2003-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-6-2006 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान के आदेश दिनांक 1-10-97 के 5 वर्ष वाद अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई थी एंव 5 वर्ष की लम्बी अवधि के विलम्ब को माफ कर देना न्याय की श्रेणी में नहीं है। जब तहसीलदार ने बटवारे के पूर्व इस्तहार जारी किया है, पटवारी ने स्थल निरीक्षण करके मौके पर कब्जे के मान से पुल्ली तैयार की है जब यह नहीं माना जाना चाहिये कि पक्षकारों को बटवारा कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के आदेश दिनांक

17-12-02, अपर कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 27-1-04 तथा अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 13-6-06 को निरस्त करने की मांग रखी।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान ने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में दिये गये तथ्यों पर समुचित विचार करके विलम्ब क्षमा किया है तथा प्रकरण आगे गुणदोष पर सुनवाई हेतु नियत किया है । आवेदकगण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बहस के दौरान समस्त तथ्यों को बता सकते हैं किन्तु उन्होंने अंतिम बहस न करके मामले को लटकाये रखने उद्वेश्य से विभिन्न न्यायालयों में निगरानी की है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान के आदेश दिनांक 1-10-97 के विरूद्व अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के समक्ष दिनॉक 17-7-2002 को अपील प्रस्तुत की है जो लगभग 04 वर्ष 08 माह के विलम्ब से है। इस विलम्ब को अनुविभागीय अधिकारी ने क्षमा किया है। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के अंतरिम आदेश दिनांक 17-12-2002 के अवलोकन पर पाया गया है कि उन्होंने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में दिये गये तथ्यों पर विचार कर निम्नानुसार निष्कर्ष दिया है -

> " वर्तमान में अपीलांट क0 4 से 7 के पिता कालू की मृत्यु हो चुकी है इस कारण इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती कि क्या वास्तव में उसके द्वारा सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये थे। जहां तक आक्षेपित आदेश की जानकारी का प्रश्न है अपीलांट्गणों द्वारा जानकारी के दिनांक से प्रत्येक दिन की देरी का कारण शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। "

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 47 सहपठित परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-5 में परिसीमा की गणना के प्रावधान हैं। विभाजन हेतु मामला दर्ज किया गया। विभाजन सूची पर अनावेदकगण के हस्ताक्षर नहीं है उनके से किसी एक अनावेदक द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। जानकारी होने के दिनांक से परिसीमा की गणना की जाना युक्तियुक्त है। संयुक्त खातेदार को नामांतरण कार्यवाही में लिखित रूप से सूचित नहीं किया गया, उसकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय आदेश पारित - परिसीमा में अपील प्रस्तुत करना माना जावेगा। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर अंतरिम आदेश दि. 17-12-02

पारित किया गया है जिसके कारण अपर कलेक्टर रीवा एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलिया द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 17-12-2002 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा आदेश दिनॉक 27-1-2004 में निकाले गये निष्कर्ष तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 13-6-2006 में दिये गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 31/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-6-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(ऐस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर